Registration no: (23014012024830160434) Date: (26-10-2024) Valid till (26-10-2027)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

सेवा मे

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रधानाध्यापक

RED CARPET HIGH SCHOOL

Chipura, Chainpura, Sampathchak Patna-800007

विषय - बच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 30-08-2024 और उसके क्रम मे आपसे किये गये पत्राचार एव विद्यालय के किये गए निरीक्षण एव जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 26-10-2024 मे किये गए निर्णय के आलोक मे आपके विद्यालय RED CARPET HIGH SCHOOL, Chipura, Chainpura, Sampathchak Patna-800007, Patna, 800007 को कक्षा 1 से 8 तक सचालन हेतु तीन वर्षा 26-10-2024 से 26-10-2027 अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एव अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एव अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 मे बच्चों के नामाकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चो का नामाकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एव अलाभकारी समूह के बच्चो का करेगा तथा उन्हे मुफ्त एव अनिवार्य प्रारभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय मे पूर्व प्राथमिक कक्षाओ का सचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कडिका 3 मे उपदत बच्चो के मामले मे विद्यालय को बच्चो की मुफ्त एव अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैक खाता का सधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नही प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामाकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामाकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणो या इसमे से किसी एक कारण के आधार पर इकार नही कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएगे.

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा मे रोककर नही रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नही होगी ।

(iv) प्रारभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक मे प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(v) अधिनियम के प्रावधानो के आलोक मे दिव्याग बच्चो का समावेशन किया जाएगा ।

(vi) शिक्षको का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 मे उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 मे प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगे ।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि मे सलग्न नही होगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एव पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामाकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 100 डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 100 डिसमिल

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- CLASS ROOM, COMPUTER LAB, SCIENCE LAB, BIOLOGY LAB, PHYGICS LAB, LIBRARY, CHEMISTRY LAB,PLAYGROUND, FULLY EQUIPED,CCTV CAMERA,DRINKING WATER RO FACILITY,SAPRATE GISLS AND BOYS AND TEACHER AND STAFF WASHROOM

(iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 12

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 2

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 8 , Girls 8

(vii) पेयजल की सुविधा :- 8

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(ix) बाधारहित पहुँच [] :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- CHEMISTRY LAB, CHEMICAL PHYGICS LAB, BIOLOGY LAB, CHEMISTRY LAB, BLACK BOAD, COMPUTER SMART BOAD PROJECTER TV GLOBE CHARTS , FOOTBALL SHOE SHOCKS JERSEY HALF NECKAR ANKLET NET BANDAGE KNEE CAP KEEPER GLOVES SINGUARD WICKET BAT STUMP GILL HAND GLOVES KNEE GUARD BALL DUES BALL TENNIS BALL NET HELMATE BADMITON SHUTTLE COCK NET COUNTDOWN WATCH TENNIS BALL TENNIS RACQUET , (Y , 980 , NewsPaper MagaZine :- 458)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के लाभ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [23014012024830160434, 2024] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांगे किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन में संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वासभाजन
जिला शिक्षा पदाधिकारी, PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

NOC LETTER

MANAGER
RED CARPET HIGH SCHOOL
CHIPURA, CHAINPUR, SAMPATCHAK
PATNA-800007

1136

PRINCIPAL
RED CARPET HIGH SCHOOL
CHIPURA, CHAINPUR, SAMPATCHAK
PATNA-800007